न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./65/2016/बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोर्डेटगण
1. बच्चा खां पुत्र चैना खां 2. पांधी खां पुत्र चैना खां 3. स्वर्गीय रहीम खां पुत्र चैना के कायम मुकामः– 3/1खेरदीन पुत्र रहीम खां 3/2अलारख पुत्र रहीम खां 3/3उनड खां पुत्र रहीम खां 3/4कोजा खां पुत्र रहीम खां 3/5मुस्मात मखणी पत्नी रहीम खां 4. स्वर्गीय रतन खां पुत्र चैना खां के कायम मुकाम 4/1सुलेमान खां पुत्र रतन खां 4/2फुसा खां पुत्र रतन खां 4/3मीर खां पुत्र रतन खां 4/4 जसु खां पुत्र रतन खां जाति मुसलमान निवासी कोलु तहसील बायतु जिला बाड़मेर।	बनाम	1.मारक खां पुत्र आरब खां के कायम मुकाम :– 1/1अयुबखां पुत्र मारक खां 1/2पीरखां पुत्र मारक खां 1/3इलियास खां उर्फ अली खां पुत्र मारक खां 1/4शबुरी पत्नी मारक खां 2.रमदान खां पुत्र आरब खां 3.गफुर खां पुत्र आरब खां(आरब खां पुत्र चैना खां के वारीसान) जाति मुसलमान निवासी कोलु तहसील बायतु जिला बाड़मेर। 4.स्वर्गीय सदीक खां पुत्र चैना खां के कायम मुकाम 4/1वलीया पुत्री सदीक खां पत्नी हुसैन जाति मुसलमान निवासी हाल कसुम्बला भाटीयान 4/2हनीफा पुत्री सदीक खां पत्नी पठान खां जाति मुसलमान निवासी कोलु तहसील बायतु जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर बायतु के राजस्व वाद संख्या 66/2013 बअनवान बच्चा खां बनाम मारक खां निर्णय दिनांक 22.06.2016।

उपस्थिति

1. वकील श्री बी.पी. गोस्वामी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पवन सिंहल रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 02.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कोलु तहसील बायतु जिला बाड़मेर मं अपीलांट्स व उतरदातागण के संयुक्त स्वतः एवम कब्जा काश्त का खेत खसरा संख्या 281 रकबा 477.04 बीघा आया है। खेत खसरा संख्या 281 मौजा कोलु में स्व. चैना खां अपने छः पुत्रों क्रमशः आरब, रहीम, रतन, पांधी, सदीक व

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

बच्चा खां के साथ रहता था। सुविधा की दृष्टि से बड़ी ढाणी बनाकर साथ रहते थे। गांव कोलु का भू–प्रबंध हुआ, उस समय चैना का बड़ा पुत्र उतरदाता संख्या 01 से 03 के पिता स्व. आरब खां ही परिवार का कर्ता था। उसने अपीलाधीन आराजी की पैमाईश कराई एवं भू–प्रबंध कर्मचारियों को प्रभावित कर खसरा संख्या 281 जो एक मात्र पक्षकारान के पूर्वज चैना खां का ही था के पर्चा लगान मे अपने पिता चैना खां का हिस्सा 1/2 व स्वयं का हिस्सा 1/2 लिखा दिया तथा ढाणी को भी दो भागों में विभक्त कर एक ढाणी अपने व दूसरी चैना खां के नाम दर्ज करा दी यह समस्त कार्यवाही उतरदाता संख्या 1 से 3 के पिता आरब खां जो चैना खां का बड़ा पुत्र था। अपीलाधीन आराजी पर स्व. चैना खां के जीवनकाल मे ही समस्त छः भाई बराबर हिस्से पर काश्त करते थे एवं आज भी पक्षकार प्रत्येक हिस्सा 1/6–1/6 पर काबिज है। पक्षकार मुस्लिम विधि से शासित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत नहीं आया है। जिससे ज्ञात हो कि स्व. चैना खां ने दान पद्वति से आराजी का हिस्सा 1/2 अपने पुत्र आरब खां को दिया है। जिससे ज्ञात हो कि स्व. चैना खां ने दान पद्वति से आराजी का हिस्सा 1/2 अपने पुत्र आरब खां को दिया है। और अन्य कोई विधि नहीं है जिस अनुसार एक पुत्र को खेत का हिस्सा 1/2 दिया जाय व शेष हिस्सा 1/2 पांच पुत्रों के लिये रखा जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के सिद्धान्तों से परे जाकर पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि स्वर्गीय चैना खां और उसके 6 पुत्रों का वक्त बन्दोबस्त संयुक्त परिवार था तथा उतरदाता संख्या 01 से 03 का पिता आरब खां ज्येष्ठ पुत्र था स्वर्गीय चैना खां वृद्ध होने के कारण परिवार का प्रधान आरब खां था उसी ने भूमि की पैमाईश कराकर रेकर्ड में आराजी का खातेदारी हिस्सा 1/2 अपने नाम व शेष 1/2 हिस्सा अपने पिता चैना खा के नाम दर्ज कराया तथा ढाणी खसरा संख्या 278 अकेले चैना खां के नाम कराई। चैना खां का देहान्त हुआ तब उसके पांच पुत्रों के नाम नामान्तकरण स्वयं आरब खां ने ही खुलवाया व अपना हिस्सा 1/2 सुरक्षित रखने हेतु उस विरासत के नामान्तकरण में अपने नाम का अंकन नहीं कराया। पक्षकार मुस्लिम विधि से शासित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत नहीं आया है, जिससे ज्ञात हो कि स्व. चैना खां ने दान पद्वति से आराजी का हिस्सा 1/2 अपने पुत्र आरब खां को

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

दिया है। और अन्य कोई विधि नहीं है जिस अनुसार एक पुत्र को खेत का हिस्सा 1/2 दिया जाय व शेष हिस्सा 1/2 पांच पुत्रों के लिये रखा जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे पदस्थापित पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने के बाद निर्णय पारित किया है जिसका कोई पत्रावली में कारण उल्लेख नहीं किया है जबकि नैतिकता के नाते पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने के बाद तारीख पेश बदलने की आदेशिका में भी यह हवाला देता है कि पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने से प्रकरण में महत्वपूर्ण कार्यवाही संभव नहीं है। इस लिए अपीलाधीन आदेश विधि का उल्लंघन एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि मुस्लिम विधि में संयुक्त परिवार अथवा पैतृक सम्पति की कल्पना नही की गई है उन्होने मौखिक साक्ष्य के स्थान पर भू-प्रबंध रेकर्ड का सहारा लेकर खतौनी बन्दोबस्त दो ढाणीयां खसरा संख्या 279 व 278 है तथा रेकर्ड खातेदारी में एक ढाणी आरब खां के नाम व दुसरी ढाणी चैना खां के नाम से है और जब रेकर्ड से दोनो का वक्त बंदोबस्त पृथक -पृथक आवास साबित है तो मौखिक कथन की समस्त पक्षकार वक्त बन्दोबस्त एक ही परिवार में रहते थे मान्य नही है यह भी स्पष्ट है की इस खेत का पर्चा लगान चैना खां का 1/2 हिस्सा व आरब खां का 1/2 हिस्सा दर्ज होने का ज्ञान अपीलांटगण को उसी समय ज्ञात हो गया था परन्तु उस समय कोई आपति न करने का अर्थ है कि वे इससे सहमत थे और स्वर्गीय चैना खां की फौतगी पर खोले गये विरासत के नामान्तकरण में उसके पुत्र आरब खां के नाम का दर्ज न होने का कारण है कि आरब खां भू-प्रबंध से पूर्व ही अपने पिता से अलग रहता था पिता व पुत्र ने शामलाती रूप से वादग्रस्त आराजी अर्जित की थी इसलिए हल्का पटवारी ने उन्ही पुत्रों के पक्ष में विरासत का नामान्तकरण खोला जो चैना खां के साथ रहते थे। अपीलांटगण द्वारा लगाये गये सभी आरोप बेबुनियाद एवं आधार हीन है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की वाद की प्रक्रियागत कार्यवाही को देखने मात्र से वह अपूर्ण और विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की साक्ष्य ली जानी अपनी आदेशिका में उल्लिखित की है। वादी पक्ष के गवाहों के मुख्य

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

परीक्षा स्वरूप बयान शपथ–पत्र पर प्रस्तुत हुए परन्तु उसमें कहीं भी अभिलेख (Document) विशिष्ट का हवाला नहीं है जिसे गवाह प्रदर्शित करवाना चाहता है न ही गवाह की प्रति परीक्षा (Cross Examination) ही करवाई गई है। न प्रदर्श की तारीख है और न ही कोई विवरण कि उक्त दस्तावेज किस तारीख को किस गवाह द्वारा कथन किये जाने के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होकर प्रदर्शित हुआ। विचारण की प्रक्रिया का कोई पालन नहीं किया; न ही उसे पूरा किया।

वादी गवाह बच्चाखां (PW-1) का शपथ–पत्र प्रस्तुत है जिसमे उसके नाम की वल्दित सहित कांट–छांट है। यही नहीं सत्यापन में खेरदीन पुत्र रहीमखां स्पष्ट टंकित दिखाई देता है परन्तु उसे काटकर स्याही से बच्चा पुत्र चैना किया गया है। दूसरे गवाह पांधी खां पुत्र चैनाखां के शपथ–पत्र में भी यही स्थिति है। इसी तरह केराराम पुत्र धर्माराम (PW-5) के शपथ–पत्र में भी कांट–छांट है। दिनांक **25.04.2016** की आदेशिका से प्रतिवादी पक्ष की ओर से गवाह मारक खां पुत्र आरब खां को भी (PW-1) माना जाकर अंकित किया है परन्तु शपथ–पत्र में गवाह की ओर से अंकित दिनांक 25.05.2016 है। यही स्थिति प्रतिवादी पक्ष के गवाह रमदान पुत्र आरब (PW-2) तारीख 25.05.2016 गफूरखां पुत्र अरबखां (PW-3) दिनांक 25.05.2016 है। गवाह हुसेनखां पांधीखां (PW-5) मुस्सेखां पुत्र मीरणखां (PW-4) के शपथ–पत्र वकील अपीलांट द्वारा प्राप्त ही नहीं है। किसी भी गवाह से जिरह नहीं हुई है। इससे गवाहों की विश्वसनीयता तथा तथ्यभिज्ञता संदेहास्पद है। पत्रावली आदेशिका दिनांक 04.05.2016 से आगामी तारीख पेशी दिनांक **30.06.2016** मुकर्रर की गई परन्तु वादी के वकील के आवेदन पर उसे पूर्व में दिनांक **10.06.2016** को पेशी पर ले ली गई। इस आवेदन पत्र में वकील प्रतिवादी की पावती दिनांक 10.06.2016 है पर आवेदन 10.06.2016 को पेश होकर आगामी दिनांक लिखी जाकर सुनवाई की तिथि बाबत कांट–छांट की गई।

अतः इन सब तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील उभयपक्ष की वाद में इंगित प्रक्रियागत त्रुटियों/दोषो के निवारण हेतु रिमाण्ड करनाउचित होगा।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 66/2013 बअनवान बच्चा खां वगै. बनाम मारक खां वगै. में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.06.2016 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु को

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को नये सिरे से वाद के संबंध में समुचित सुनवाई हेतु साक्ष्य प्रस्तुति का पूर्ण अवसर देते वाद की विधि सम्मत प्रक्रिया (Proceedings) पूर्ण करने के पश्चात गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 02.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner